न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

बईजलास श्वेता यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

वाद पत्र संख्या – 199/2015

1. श्योराम पुत्र बोदूराम जाति स्वामी निवासी ढाणी रामदेव वाली, तन ललाना , तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज0)

––वादी

बनाम

1. गोपी पुत्र श्री बोदूराम
2. रामौतार पुत्र श्री बोदूराम
3. संज्या पत्नी श्री बोदूराम
4. गाडाराम पुत्र चुन्नाराम समस्त जाति स्वामी निवासी ढाणी रामदेव वाली, तन ललाना, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिए नायाब तहसीलदार पावटा।
6. श्रीमान सब रजिस्ट्रार, नायब तहसीलदार महोदय पावटा जिला– जयपुर राजस्थान

------ प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 8.2.18

वकील वादी ने एक वाद बाबत बंटवार एवं स्थाई निशेधाज्ञा का पेश किया जिसका संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2/1.49 हैक्टेयर, 3/1.29 हैक्टेयर, 47/1.13 हैक्टेयर, 47/372/0.01 हैक्टेयर, 48/379/0.26 हैक्टेयर, कुल किता 5 रकबा 4.18 स्थित ग्राम ललाना, तहसील कोटपूतली है। आराजी मुतदाविया का वादी हिस्सा 3/48 का काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 हिस्सा 7/16 के सहखातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 04 हिस्सा 1/2 का सहसखातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 आराजी मुतदाविया में जमाबंदी में वर्णित हिस्सेनुसार सम्मितिल रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा सम्मिलित रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी मुतदाविया में वादी ने अपने मकान बना रखे है । प्रतिवादीगण ने भी मकान बना रखे है जिसमें मय परिवार निवास करते है एवं बोरिंग बनी हुई है जिसमे बिजली कनेक्शन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता व

कलक्टर (जयपुर)

पति के नाम से है उक्त बोरिंग में हिस्सेनुसार पानी लेकर अपनी आराजी को सिंचित करते आ रहे है तथा बाबा रामदेव का मंदिर भी वादी के द्वारा बनाया हुआ है जिसकी सेवा पूजा वादी करता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03 वादी से रंजिश रखते है एवं वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना रखा है एवं वादी को उसके हिस्सेनुसार काश्त करने से रोकते है वादी के द्वारा काश्त की हुई फसल को काट ले जाते है तथा जबरन बिना किसी अधिकार के हरे वृक्षों को काट काट कर बेच देते है , काफी वृक्षों को बेचान कर दिया गड्ढे खोद दिये। वादी जब मना करता है तो वादी के साथ मारपीट करते है और वादी को झुठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते है उसके विरूद्व बलात्कार का केस लगाने का षड्यंत्र रचते हैं। वादी के बच्चे तथा उसकी पत्नी मंदिर में पडे हुए है। वादी को ना काश्त करने देते है एव ना ही उसको वहां आने देते हैं। वादी ने उनकों कई बार समझाया पर वे नहीं मानतें है पंचायत भी बुलाई जिन्होने फैसला भी करवाया। फैसला स्टाम्प पर भी लिखा गया परंतु उसके बावजूद भी ना तो लोगों की मानते है एवं ना ही फैसले को मानते है एवं रह रहकर धमकी देते है कि वादी को उसके हिस्सेनुसार काश्त नहीं करने देंगें एवं सारी जमीन को हडप कर जायेंगे। इसी नियत से भूमि जो वादी एवं प्रतिवादीगण ने घरेलू बाहमी बंटवारे के अुनसार जमीन बांट रखी है जिसमें वादी के हिस्से की जमीन में मिट्टी निकालकर बेचते है तथा पेडों को काट दिया है। इसलिए सम्मिलित रूप से काश्त करना दुस्वार हो गया है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा आराजी का तकास्मा करवाने हेतु कहा परंतु पहले वे टालमटोल करते रहे, अब साफ इंकार हो गये अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व तकास्मा करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकीलवादी ने अपनी बहस में वाद तथ्यों को दोहराते हुए वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर वाद में कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन किया। बहस सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात दिनांक 27.02.2017 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आराजी मुतदाविया की कुर्रेजात रिपॉर्ट मंगवाई जाने के लिए तहरीर जारी की गई। दिनांक 24.07.2017 को तहसीलदार कोटपूतली से वादग्रस्त आराजी मुतदाविया की कुर्रेजात रिपॉर्ट प्राप्त हुई।

हमने वादी वकील को कुर्रेजात रिपॉर्ट पर सुना। कुर्रेजात रिपॉर्ट का अवलोकन किया। दावा तकास्मा का है अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपॉर्ट वादी का वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपॉर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपॉर्ट निर्णय का भाग रहेगा एवं निर्णय के साथ पढा जाएगा। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार होकर तहसीलदार कोटपूतली का इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8-2-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर